



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175219

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अन्तर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 48797 सन् 2025

विशाल शर्मा एवं अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अनिल कुमार पाठक, चन्द्र प्रताप सिंह, नवीन कुमार यादव

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए., प्रदीप कुमार केशरी, रामानन्द

न्यायालय संख्या - 83

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन कुमार यादव, विपक्षी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार केशरी तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत वर्तमान आवेदन आवेदकगण द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान आवेदन को स्वीकार करते हुए आरोप-पत्र संख्या 133 वर्ष 2024 दिनांक 24.09.2024, समन आदेश दिनांक 10.06.2025 तथा मुकदमा संख्या 182 वर्ष 2025 (राज्य बनाम विशाल शर्मा एवं अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही, जो मुकदमा अपराध संख्या 72 वर्ष 2024, धारा 498ए, 323, 504, 506 भा.दं.सं. तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना पूरामुफ्ती, जनपद प्रयागराज (इलाहाबाद) से उद्भूत है तथा सिविल जज (जू.डि.), न्यायालय संख्या 21, इलाहाबाद के समक्ष लंबित है, को निरस्त किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदकगण तथा विपक्षी संख्या 2 ने न्यायालय के बाहर आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है। पक्षकारों के मध्य हुए समझौते की शर्तों के आधार पर कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ आवेदकगण ने वर्तमान आवेदन प्रस्तुत करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस न्यायालय ने दिनांक 08.07.2026 के आदेश द्वारा पक्षकारों को पक्षकारों तथा समझौता आवेदन के सत्यापन हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 29.07.2026 के आदेश द्वारा पक्षकारों के साथ-साथ समझौता आवेदन का भी सत्यापन किया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकगण तथा विपक्षी संख्या 2 ने मामले में समझौता कर लिया है तथा विपक्षी संख्या 2 आवेदकगण के विरुद्ध मामले को आगे नहीं चलाना चाहता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकगण तथा विपक्षी संख्या 2 ने समझौते के माध्यम से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है और इस प्रकार विपक्षी संख्या 2 उपर्युक्त मामले को आवेदकगण के विरुद्ध आगे नहीं चलाना चाहता है। विपक्षी संख्या 2 आवेदकगण के अभियोजन को वापस लेने के लिए तैयार है और समझौते के दृष्टिगत, यदि अभियोजन को आगे चलने दिया जाता है तो कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

4. विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए कथन की सत्यता अथवा उनके द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की सत्यता पर विवाद नहीं किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 2 को उपर्युक्त मामले की कार्यवाही निरस्त किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि दोनों पक्षों ने न्यायालय के बाहर अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, अतः आगे कार्यवाही किए जाने का कोई कारण नहीं है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नरिंद्रा सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एस.सी.सी. 466, पार्वतभाई आहिर उर्फ पार्वतभाई बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एस.सी.सी. 641, ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एस.सी.सी. 303 तथा मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण, (2019) 5 एस.सी.सी. 688 के मामलों में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि कुछ संज्ञेय एवं गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में भी पक्षकारों के मध्य समझौता किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा शैफुल्लाह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, [2013 (83)



ए.सी.सी. 278] में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें उपर्युक्त मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को विस्तारपूर्वक समझाया गया है।

7. उपर्युक्त उल्लिखित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि उपर्युक्त मामले की कार्यवाही को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

8. तदनुसार, आरोप-पत्र संख्या 133 वर्ष 2024 दिनांक 24.09.2024, समन आदेश दिनांक 10.06.2025 तथा मुकदमा संख्या 182 वर्ष 2025 (राज्य बनाम विशाल शर्मा एवं अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही, जो मुकदमा अपराध संख्या 72 वर्ष 2024, धारा 498ए, 323, 504, 506 भा.दं.सं. तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना पूरामुफ्ती, जनपद प्रयागराज (इलाहाबाद) से उद्भूत है, एतद्वारा रद्द की जाती है।

9. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत वर्तमान आवेदन तदनुसार **स्वीकार** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

19 अगस्त, 2026

एम.डी. फैसल